कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, (म0प्र0)

: परिपत्र :

क्रमांक–क्यू /दो–12–03/2024 भोपाल, दिनांक 19/12/2024

प्रायः देखने में आया है कि इस जिला स्थापना पर तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकगण द्वारा नियमानुसार 'F.R.S' मशीन पर कार्यालय में आगमन पर उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है, किंतु प्रस्थान के समय अधिकांश कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारीगण की उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट एवं सही एफआरएस रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रही ही, साथ ही कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण दोपहर पश्चात बिना अवकाश आवेदन दिये कर्तव्य से अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अर्द्ध दिवस का आकस्मिक अवकाश आवेदन अग्रेषित कराते हुये बिना कार्यालय में आवेदन प्रेषित कर अवकाश का उपभोग कर लेते हैं।

अतः जिला स्थापना एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय सेवक कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन "F.R.S" मशीन पर प्रत्येक कार्यदिवस में आगमन व प्रस्थान उपस्थिति दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त पीठासीन/प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन नियमानुसार डाकबुक पर इन्द्राज करते हुये कार्यालय में प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक – 9425 /दो–12–03/2024 भोपाल, दिनांक 19.12.2024

प्रतिलिपिः–

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग भोपाल की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं न्यायिक कर्मचारीगण को ई–मेल के माध्यम से सूचना भेजे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)